राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141 2227884
ई–मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (797) पंरावि/पीसी/वि.मा.प्लान/2019/ 2735 जयपुर, दिनांक : 04.11.2019

1. संभागीय आयुक्त, समस्त।
2. जिला कलक्टर, समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद – समस्त।

विषय :– गांवो के सुनियोजित विकास हेतु विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से करने बाबत प्रशासनिक कार्यवाही की समय–सीमा की जानकारी।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2597 दि. 14.10.2019 एवं 2677 दि. 25.10.2019 तथा राजस्व विभाग का पत्रांक प. 9 (20) राज–1/2019 दिनांक 18.09.2019 (तीनो पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)

महोदय,

बजट घोषणा वर्ष 2019–20 की पालना में गांवो के सुनियोजित विकास हेतु विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से करने बाबत निम्न प्रकार पत्र जारी किये गये है :–

1. विभागीय पत्रांक 2597 दिनांक 14.10.2019 :– विस्तृत दिशा–निर्देश
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग का आदेश दिनांक 18.09.2019 :– रराजस्व कार्मिको के सहयोग हेतु
3. विभागीय पत्रांक 2677 दिनांक 25.10.2019 :– 31 दिसम्बर, 2019 तक भूमि चिन्हिकरण की कार्यवाही पूर्ण करने बाबत विस्तृत कार्य योजना एव प्रक्रिया

कुछ जिलो द्वारा दूरभाष पर चाही गई जानकारी के आधार पर उक्त प्रासंगिक पत्रो की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि :–

- बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के **प्रत्येक गांवो के** सुनियोजित विकास हेतु विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से किया जावेगा।
- प्लान बनाने के लिये प्रशिक्षण आयोजित करने आदि संबंधी कार्यो का व्यय राज्य वित्त आयोग–पंचम मद से संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा वहन किया जा सकेगा।
- पत्र दि. 25.10.2019 में दी गई समय–सीमा के अनुसार प्रासंगिक पत्रो में दिये गये निर्देशो के अनुसार विलेज मास्टर प्लान बनाने की कार्यवाही करते हुये बजट घोषणा की क्रियान्विती सुनिश्चित करावें।
- इस विषय में राज्य स्तर से किसी प्रकार की टी ओ टी नहीं की जावेगी। उक्त प्रासंगिक पत्रो में विस्तृत एवं स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये हुये है। इन निर्देशो के अनुसार स्थानीय भाषा एवं पद्धति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण सामग्री, पी.पी.टी. तैयार कराया

जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जावे। साथ ही प्रशिक्षण सामग्री की एक प्रति मुख्यालय को भेजी जावे।

- प्रगति ई–पंचायत में दर्ज करते हुये संलग्न प्रारूप में विभागीय ई–मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in पर भेजे।

कृपया उपरोक्त निर्देशो की क्रियान्विती सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीया

(डॉ. आरूषी मलिक)
विशिष्ठ शासन सचिव
एवं निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला समस्त।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ''विलेज मास्टर प्लान'' शीर्षक में अपलोड करने हेतु।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को तत्काल एम.आई.एस. प्रावधान कराने हेतु।
9. डी.पी.एम., जिला परिषद समस्त।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

विलेज मास्टर प्लान की प्रगति दिनांक.....

कंसं.	जिला	पं.सं.	ग्र.पं.	कुल गांवों का संख्या	प्रशिक्षण की संख्या	गांवो की संख्या जिनके प्लान तैयार किये गये	अनुमोदित वि.मा.प्लान की संख्या		अतिरिक्त आवश्यक भूमि (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)	गांवो की संख्या जिनके प्लान ई–पंचायत में दर्ज कर दिये गये है	विशेष विवरण
							ग्रा.पं. द्वारा	ग्राम सभा द्वारा			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											